

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612] No. 612] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर ६, २०००/अग्रहायण 15, 1922

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2000/AGRAHAYANA 15, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2000

सा.का.नि. 908(अ).— केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् :—

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2000 है।
 - (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 में, प्ररूप (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप क

[पैरा 4 का उप-पैरा (1) देखिए]

क्रम संख्या.....

लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अधीन कोई लोक भविष्य निधि खाता खोलने के लिए आवेदन।

सेवा में

शाखा प्रबंधक/पोस्ट मास्टर यहाँ पासपोर्ट आकार का
.....बैंक/डाक घर का नाम नया फोटो चिपकाएं
स्थायी लेखा संख्या.....**

मैं.....लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अधीन अपने नाम में /कुमार/कुमारी.....के नाम
में खाता खोलने के लिए जिनका मैं संरक्षक हूँ आवेदन करता हूँ तथा.....रुपए (केवल.....रुपए) नकद/चैक
के द्वारा आरंभिक अभिदान के रूप में देता हूँ।

| 2 | | THE GAZETTE OF INDIA . EXTE | AORDINARY | [PART II—Sec. 3(i)] |
|--|--|--|---|---|
| अभिदाता/संरक्षक | ज्ञास्थायी पता | | | |
| में सम | य-समय पर यथा संशो | धेत लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के उपबं | धों का पालन करने का करार क | रता हूँ। |
| स्वयं/ | अव्यस्क(स्कों)/हिंदू अ | नविभक्त कुटूम्ब/संगम के नाम में लेखा अवयर | क के जन्म की तारीखः | |
| आवेदक के साथ | अवयस्क की नातेदारी | । यदि कोई हो | | |
| (1) | मैं इसके द्वारा घोषणा | करता हूँ कि मैंने कोई अन्य लोक भविष्य नि | ध खाता नहीं खोल रखा है। | |
| (n) | | करता हूँ कि मैंने किसी अवयस्क की ओर से र ाते के सिवाय कोई अन्य लोक भविष्य निधि ख | | या व्यक्तियों के किसी संगम |
| . (ш) | मैं इसके द्वारा घोषणा | करता हूँ कि मेरे द्वारा पहले खोले गए अन्य ल | ोक भविष्य निधि खातों के ब्यौं | रे निम्न प्रकार से हैं। |
| | क्रम सं. वर्णन | | बैंक/डाक घर का नाम/पता अ | रि खाता सं. |
| | 1. स्वयंकाः | <u> </u> | | |
| | 2. अवयस्क(| स्कों) के नाम में जिनका मैं संरक्षक हूँ | | |
| | 3. हिंदू अ वि | भक्त कुटूम्ब का खाता | | |
| | 4. व्यक्तियों | के संगम के नाम में | | |
| (w) | व्यक्ति के स्वयं के र किसी संगम के खाते | रता हूँ कि मैं समय-समय पर केन्द्रीय सरकार वाते और खातों, वयस्क(कों) की ओर से खात सहित किसी वित्तीय वर्ष में साठ हजार रुपए हैं अभिदाता को विहित समय से अधिक पाए गए | ों, जिनका मैं संरक्षक हूँ∕किसी ट, पालन करूंगा। यदि किसी सग | हिंदू अविभक्त कुटूम्ब खाते/ नय उक्त घोषणा गलत/मिथ्या |
| (v) | | , लोक भविष्य निधि अभि मुझे लोक भविष्य निधि खाता खोलने के लिए | | की सेवाओं का उपयोग |
| | | (या) | | |
| | में प्रत्यक्ष रूप से न | कि अभिकर्ता की मार्फत विनिधान करूंगा। | | |
| तारीख | | | | नदाता/संरक्षक के हस्ताक्षर या हे का निशान |
| हस्ताक्षर के अवि | तरिक्त नमूने | | | |
| **ऐसे अभिदात | n/आवेदक जिनका आ | यकर का निर्धारण नहीं होता है या जिनके पास | स्थायी लेखा संख्या/जी आई आ भे कें | र संख्या नहीं है वे पहचान के |
| | | पत्र अथवा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति दे सकत | | यथा-स्थिति ''हिंद अविभक्त |
| टिप्पण 1 :—जहां कोई खाता किसी हिंदू अविभक्त कुटूम्ब या किसी व्यक्ति संगम की ओर से खोला जाता है वहां यथा-स्थिति ''हिंदू अविभक्त कुटुम्ब'' या ''संगम'' शब्द अभिदाता के नाम के पश्चात् जोड़े जाएंगे। | | | | |
| टिप्पण 2 :— | उर्र जो लागू न हो उसे का | | | |
| लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए | | | | |
| लोक भविष्य नि | धि लेखा संख्या | ⋯⋯⋯ के अधीन ⋯⋯⋯⋯ | रुपए से तारीख | ····· को खाता खोल दिया गया |

लेखा कार्योलय के उपयोग के लिए
लोक भविष्य निधि लेखा संख्या के अधीन रुपए से तारीख को खाता खोल दिया गया
है।
पास पुस्तिका सं. जारी कर दी गई है।
लेखा अधिकारी''
[फा. सं. 7/6/99-एन एस II]
एस. डी. पाल, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— स्कीम सा. का. नि. 1136 तारीख 15-6-1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और सा. का. नि. 368 (अ) तारीख 1-8-72, सा. का. नि. 217(अ) तारीख 9-3-79, सा. का. नि. 270(अ) तारीख 16-3-83, सा. का. नि. 271(अ) तारीख 16-3-83, सा. का. नि. 54(अ) तारीख 7-2-84, सा. का. नि. 895(अ) तारीख 23-6-86, सा. का. नि. 1013(अ) तारीख 20-8-86, सा. का. नि. 793(अ) तारीख 29-8-89, सा. का. नि. 477(अ) तारीख 25-5-94, और सा. का. नि. 489(अ) तारीख 6-7-1999 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2000

| G.S.R. 908(E).— In exercise | e of the powers conferred by section 3 of the Public Provident |
|---|--|
| Fund Act, 1968 (23 of 19 | 968), the Central Government hereby makes the following |
| amendments further to ame | end the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely:- |
| 1. (1) This scheme ma 2000. | y be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, |
| (2) It shall come into | o force on the date of its publication in Official Gazette. |
| 2. In the Public Prov substituted, namely:- | rident Fund Scheme, 1968, for Form A, the following shall be |

[*See sub-paragraph (1) of paragraph 4*] Serial No......

Application for opening a Public Provident Fund Account Under the Public Provident Fund Scheme, 1968.

FORM A

| То | The Branch Manager/Post Master, (Name of the Bank/Post Office) | Paste here a copy of recent passport size photograph |
|----|--|---|
| | | |

| PAN N | 0 | | |
|--|--------------------------|----------|---|
| hereby apply for opening an account under the Publi my name/in the name of Kumar/Kumari | c Provident Fund Scheme, | 1968, ir | |
| of whom I am the guardian and tender herewith Rs cash/cheque as the initial subscription. | (Rupees |) ir | 1 |
| Permanent address of subscriber/guardian | | | |

I agree to abide by the provisions of the Public Provident Fund Scheme, 1968, and amendments issued thereto from time to time.

4

| ACCOUNT IN THE NAME | OF SELF/ M | IINOR (S)/HU | F/ASSOCIATION |
|----------------------------|------------|--------------|---------------|
|----------------------------|------------|--------------|---------------|

| | ACCOUNT IN THE NAME O | F SELF/ MINOR (S)/ NOF/ ASSOCIATION |
|----------|---|--|
| Date o | of birth of minor | |
| | | f any, |
| Applic | (i) I hereby declare the | hat I am not maintaining any other Public Provident |
| | Fund Account. | de i uni not mananing any other rable rrovident |
| | | am not maintaining any other Public Provident Fund |
| | | |
| | | ccount on behalf of a minor or a Hindu Undivided |
| | Family or an associatio | • |
| | • • | the details of other Public Provident Fund accounts |
| | opened earlier by me a | |
| S.No. | Description | Name/address of the Bank/Post Office and |
| | | account No. |
| 1. 2. | Self account | |
| 2. | In the name of minor(s) | |
| | of whom I am the | |
| | guardian | |
| 3. | HUF Account | |
| 3. 4. | In the name of | |
| '. | Association of persons | |
| · | 7 about di on persons | |
| (v) | minor(s) of whom I am the Association Account. In countrue/false, no interest shall deposits found in excess of the I shall be utilising the service. | ces of Shri/Ms, PPF Agency No. od for opening of this PPF Account. OR |
| | onal specimen signatures | Signature or thumb impression of Subscriber/guardian |
| ** | PAN/GIR No. may furnish atte or Passport for identification. Note 1 :- Where an account | o are not assessed to income tax or do not have ested copy of the Ration Card or Voter's Identity Card is opened on behalf of a Hindu Undivided Family or eletters "HIE" or "Association" as the case may be |

Note 2 :- Delete whichever is not applicable.

shall be added after the name of the subscriber.

FCR THE USE OF ACCOUNTS OFFICE

| บีnder | The account has been opened on Public Provident Fund Account No | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| | Pass Bock No | _ has been issued. | |
| Date _ | | | Accounts Officer " |
| | | | |

[No, F 7/6/99-NS II] S D. PAUL, Under Secy.

Footnote: The scheme was notified vide GSR 1136 dated 15.6.1968 and amended vide GSR 368(E) dated 1.8.72, GSR 217(E) dated 9.3.79, GSR 270(E) dated 16.3.83, GSR 271(E) dated 16.3.83, GSR 54(E) dated 7.2.84, GSR 895(E) dated 23.6.86, GSR 1013(E) dated 20.8.86, GSR 793(E) dated 29.8.89, GSR 477(E) dated 25.5.94 and GSR 489(E) dated 6.7.1999.